5.1.4 Regarding Organization wide awareness and undertakings on policies with Zero tolerance.


[1] ICC organized One Day Workshop on "Awareness Programme on Gender Sensitivity" for Conveners/ Members of ICC working in Affiliated Colleges/ Institutions, University Teachers and Research Scholars of the University held on March 22, 2022













NEELAM RANI DHANDA «nchanda@kuk.ac.in»

Wed, Mar 17, 2021 at 11:00

लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर हुई कार्यशाला महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त करने को केयू में है आंतरिक शिकायत कमेटी : प्रो. सचदेवा

मास्कर न्यूष्ट | करुक्तेप

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की और से मंगलबार को लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पोदन की रोकचाम विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अविध केयू कुलपति प्रो. सोपनाथ सचदेवा व पुछप वक्ता डीन एकेडपिक अफेग्रा प्रो. मंजुला चौधरी रही। प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि केय हमेशा से महिलाओं की सरका व हितों के लिए प्रतिबद्ध है। केयु की कार्यकारिणी में यौन उत्पीहन के ज़िलाफ कार्यकारी परिषद द्वारा एक विशेष नीति अनुमीदित है। विश्वविद्यालय समुदाय के मधी सदस्य, जिनमें अस्थाई या अल्पकालिक पद शामिल हैं, इस उनको सुरक्षित कैंपम उपलब्ध करवाने के लिए मीके पर पंजाबी युनिवर्मिटी पटियाल के महिला नीति के अधीन हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को यौन उत्पोदन, धमकी या शोषण में मुक्त करने के लिए हो विश्वविद्यालय में अतिरिक शिकायत कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को संवेदनशील बनाने के लिए आईसीसी की गीड़, लोकसंसके विभाग के उपनिदेशक हाँ. का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इस और से कई कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का दीपक राय बच्चर, डॉ. मुमन ढोडा, डॉ. संगीता बारे में जागरूक करें व समाज के प्रति उनके आयोजन किया जात है। आंतरिक शिकायत सेटी, डॉ. सुशील चौहान, डॉ. हुकप सिंह, डॉ. उत्तरदायित्व को समझे। विश्वविद्यालय में पढ़ने समिति की अध्यक्ष हो. नीलम बीडा ने मुख्य जितेह खटकड़, डॉ. गुरचरण सिंह और डॉ. याने विद्यार्थियों में अभिकातर हात्राएं हैं और हम अतिथि और मुख्य वक्ता का स्वागत किया। इस हरविंदर सिंह मीजुर रहे।



कुरक्षेत्र । आतरिक शिकायत कमेटी की ओर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते केय कुलपति प्रेपेत्सर संग्रमनाथ सचदेखा।

संकल्पित है।

मंजुला चौधरी ने कहा कि पौन उत्पोड़न की सुदेश, डी. मुकेंद्र कादियान, डी. रंजना, कुटा रोकथाम के बारे में उत्त्रों और कर्मचारियों प्रधान हो. परमेश कुमार, स्रविध हो. विकेस

अध्ययन केंद्र की डॉ. रित, डीन फैकल्टी ऑफ मुख्य बक्त द्वीन एकेद्रियक अफेयर प्रो. लॉ प्रो. सुनील गादव, प्रो. सरस्थती सेतिया, प्रो.



[3] Webinar on Women Safety 2020

Webinar on 15 Jun 2020 Women Safety in current scensio) (40)

महिना सुरक्षा को लेकर सभी को जानरूक होना जरूरी

कर प्रभाव प्रश्नित जरूरी

कर प्रभाव के अन्योध
तिवारिकारण को अन्योध
त्यारण के अन्योध
त्यारण के अन्योध
त्यारण के अन्योध
त्यारण के व्याध
त्यारण के व्याध

महिला सुरक्षा के मुद्दे पा युवाओं को जामहन्क करना जानी विवेश ह

महिला सुरक्षा के मुद्दों पर वेबिनार आयोजित

कुमलेल। कुमलेल विश्वविद्यालय की आतीक विकास्त्र कमेंगी द्वार सर्वेद्यालय केंग्रेसन में गाँउना पुरुष्क विकास पर प्रतिकार आतींका किया परा प्रतिकार आतींका प्रदेशन अधिता और पुरुष देनी की प्रतिकार मुस्ता के पुरुष के की में जानकार करता था। दूस कीम विकास तथा कार अधिता केंग्रेस व्यवधीन कार्यों में प्रतिकार प्रतिकार निर्माण के मेंग्रेस के मार्गित विवास प्रतिकार करता था।

उन्होंने बाताय कि स्टिटन सुम्बा के मुन्दों के जीत पुत्रकों मुक्ता पुत्रकों को जन्मक करण अवस्थान है। समयो विश्वक दशाने विशेष में उन्हों को की अक्टम के उन्होंने का अमेरर रेलने के अपने अवस्थात अनुस्कों की साझा विश्वक:

WEBINAR ON WOMEN'S SAFETY

Kunikshetric Kriemel Complaints Committee (against sessoi haracoment of women at workplace), Kurulohetra University here. argunised a webwar on "Women salety in current sconario" with an aim to sensitive paidonts lowerds women ratioty. Among the resource persons were, Dipenh Tark from TEDs Munital, Josh speaker on warner/s issues and founder of NGO Youth for People. and War against Railway Powdes", Dr Vanita Chingra, member of the committee, apprised about the functioning of the committee and conducting awareress programmes besides drawing with complaints of served horzosment. Prof Anits Yoday, Chairperson of the committee, threw light on how he established the NGO and his compaign of war against Railway Rowston, which twi to arrest of arround 190 senses hereasters in Murrian local timins. Took talked about importance of sensitivation of men especially youngstors towards the issue of women safety. He shared his practical experience in his comparigo of war against flatway flowders.

[4] Workshop Lecture of ICC 2019



क्रेयू में यौन उत्पीड़न शिकायत कमेटी की वर्कशॉप

कुरुक्षेत्र । कुरुक्षेत्र यूनिवसिंटी की कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीइन को रिकने के लिए बनी आंतरिक शिकायत कमेटी (आईसीसी) ने अपने सदस्यों के अशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मंगलवार को वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन डॉ. मीनू ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीइन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के सभी अनुभागों के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से सदस्यों को प्रशिक्षित किया। डॉ. मीनू ने सैक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच अंतर के बारे में भी बताया। उन्होंने कई विषयों जैसे शिकायत दाखिल करना, जांच की प्रक्रिया, समझौता, आईसीसी की शिक्तयां, कर्तव्य और वार्षिक रिपोर्ट बनाने पर व्याख्यान दिया। वर्कशॉप में आईसीसी के सदस्यों प्रो. एसएस बूरा, प्रो. एसके विश्व, डॉ. विनता ढींगरा, डॉ. अंकेश्वर प्रकाश, पिंकी कालड़ा, किरण और अध्यक्षा प्रो. अनिता यादव, अस्मा, डॉ. रंजन गुप्ता, डॉ. वंदना, वीना, भारती और नेहा मौजूद रही।

[5] ICC Lecture On Awareness Against Sexual Harassment of Women at Workplace (2018)



जागरूकता वार्ता में संबोधित कस्ते हुए एक्डोकेट किया चुन (दायें) . पीआरओ

कोई भी परेशानी होने पर उठाएं आवाज : चुघ

गास, कुरुक्षेत्र: एडवोकेट दिव्या बुध ने कहा कि कार्यस्वल पर किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए। महिलाओं को जागरूकता से ही यौन उत्पीडन के मामले थम सकते हैं। वह मगलवार को आइआइएवएस में महिलाओं के यौन उत्पीडन के खिलाफ आतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की ओर से कार्यस्वल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकबाम, निषेव और निवारण) अधिनियम 2013

पर आवोजित जागरूकता वार्ता में सर्वोधित कर रही थी। बावोकेमेस्ट्री विभाग की अध्यक्षा डॉ. अनिता दुआ ने उनका स्वागत किया। इस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस)की चेयरपर्सन प्रो. अनिता ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है। उन्होंने आईसीसी की कपोजीशन, पॉलिसी का दायरा, शिकायत के तरीका उपलब्ध मानदंडों पर प्रकाश डाला।